**भारत सरकार**
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या. 62**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)**

**सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की रणनीति**

**62. श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु कोई रणनीति विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों/कारपोरेट घरानों द्वारा व्यय/अंशदान का ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआर के तहत उनके द्वारा किए गए कार्यों/गतिविधियों का वर्ष/कंपनी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठित करनी होती है। यह समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है और कंपनी के बोर्ड कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उनका क्रियान्वयन करता है और उन पर निगरानी रखता है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित की गई सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है और स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार वितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके के अनुरूप किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इस आशय का प्रमाणन करना होता है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों की लेखापरीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके तहत लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। मौजूदा कानूनी और कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किए गए सीएसआर कार्यकलापों के लिए एक प्रभावी और परिणामोन्मुखी तंत्र प्रदान करता है।

जारी......2/-

(ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा किया जा सकता है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा तमिलनाडु सहित राज्यवार और क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक- I

**03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) और निजी क्षेत्र (गैर-पीएसयू) कंपनियों द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय**

(राशि करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर-पीएसयू | पीएसयू | गैर-पीएसयू | पीएसयू | गैर-पीएसयू | पीएसयू |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 1.58 | 1.28 | 9.07 | 0.64 | 1.49 | 1.04 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 679.13 | 40.68 | 604.67 | 52.12 | 902.54 | 52.10 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 7.04 | 3.54 | 108.17 | 11.25 | 5.43 | 7.92 |
| 4 | असम | 87.06 | 93.18 | 174.51 | 231.66 | 172.20 | 298.05 |
| 5 | बिहार | 82.38 | 7.51 | 122.15 | 43.82 | 125.30 | 110.07 |
| 6 | चंडीगढ़ | 13.40 | -- | 50.59 | 0.29 | 17.47 | 1.16 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 139.07 | 186.56 | 150.84 | 154.45 | 436.08 | 160.04 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 20.85 | 1.13 | 13.19 | 0.92 | 13.11 | 0.60 |
| 9 | दमन और दीव | 5.25 | -- | 3.41 | 0.72 | 8.58 | 0.82 |
| 10 | दिल्ली | 679.24 | 45.34 | 843.34 | 352.99 | 1035.35 | 448.56 |
| 11 | गोवा | 36.04 | 5.88 | 41.22 | 4.22 | 53.41 | 4.75 |
| 12 | गुजरात | 1360.48 | 101.12 | 1473.39 | 130.87 | 1886.54 | 121.88 |
| 13 | हरियाणा | 535.49 | 15.37 | 625.87 | 58.08 | 662.59 | 38.48 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 64.27 | 42.04 | 79.51 | 60.71 | 82.63 | 55.99 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 13.88 | 21.68 | 25.99 | 24.69 | 45.35 | 25.87 |
| 16 | झारखंड | 131.67 | 94.87 | 125.88 | 67.45 | 273.54 | 114.81 |
| 17 | कर्नाटक | 1141.47 | 136.34 | 1646.80 | 192.93 | 1821.45 | 164.38 |
| 18 | केरल | 261.68 | 28.99 | 202.30 | 37.43 | 298.90 | 52.70 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.01 | -- | 0.45 | -- | 0.02 | -- |
| 20 | लेह और लद्दाख | -- | -- | 5.29 | 9.54 | 6.63 | 5.09 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 240.76 | 134.75 | 278.88 | 148.80 | 449.43 | 206.98 |
| 22 | महाराष्ट्र | 3250.74 | 214.07 | 5057.33 | 323.08 | 5188.86 | 308.46 |
| 23 | मणिपुर | 6.29 | 4.10 | 6.64 | 8.97 | 40.52 | 12.93 |
| 24 | मेघालय | 15.63 | 2.00 | 17.95 | 1.68 | 19.95 | 1.78 |
| 25 | मिजोरम | 0.95 | 0.02 | 1.85 | 5.09 | 1.97 | 9.03 |
| 26 | नागालैंड | 3.31 | 0.26 | 8.21 | 4.25 | 7.24 | 6.33 |
| 27 | ओडिशा | 259.38 | 318.78 | 273.19 | 397.13 | 592.98 | 394.72 |
| 28 | पुडुचेरी | 12.41 | 0.02 | 8.45 | 0.86 | 10.29 | 2.26 |
| 29 | पंजाब | 155.61 | 2.84 | 177.83 | 7.05 | 234.98 | 12.59 |
| 30 | राजस्थान | 652.87 | 17.12 | 659.57 | 52.25 | 1046.54 | 55.83 |
| 31 | सिक्किम | 8.51 | 8.77 | 9.47 | 18.77 | 12.47 | 23.70 |
| 32 | तमिलनाडु | 1097.19 | 76.88 | 1357.41 | 74.65 | 1460.06 | 102.42 |
| 33 | तेलंगाना | 543.33 | 84.38 | 592.02 | 93.85 | 926.83 | 80.71 |
| 34 | त्रिपुरा | 3.48 | 5.81 | 4.96 | 10.95 | 4.82 | 14.44 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 782.58 | 124.75 | 1125.26 | 213.91 | 923.96 | 228.61 |
| 36 | उत्तराखंड | 109.89 | 50.69 | 143.59 | 84.49 | 185.26 | 115.85 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 406.53 | 64.95 | 468.91 | 98.29 | 624.15 | 138.14 |
| 38 | पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि) | 2525.09 | 966.21 | 748.70 | 864.87 | 549.38 | 399.44 |
| 39 | पैन इंडिया* | 6388.69 | 1416.34 | 4998.69 | 526.47 | 5743.73 | 317.25 |
| 40 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 1.43 | 168.04 | 0.52 | -- | 20.12 | -- |
| कुल | | 21724.68 | 4486.27 | 22246.10 | 4370.20 | 25892.14 | 4095.78 |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)**

*** कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

अनुलग्नक- II

**03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) और निजी क्षेत्र (गैर-पीएसयू) कंपनियों द्वारा विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय**

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र.सं. | विकास क्षेत्र | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर पीएसयू | पीएसयू | गैर पीएसयू | पीएसयू | गैर पीएसयू | पीएसयू |
| 1 | कृषि वानिकी | 20.85 | 0.04 | 31.84 | 2.43 | 64.43 | 0.64 |
| 2 | पशु कल्याण | 191.61 | 1.93 | 165.63 | 3.16 | 313.27 | 2.70 |
| 3 | सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, वीरांगनाएं /आश्रित | 68.85 | 15.20 | 37.71 | 9.51 | 57.50 | 4.77 |
| 4 | कला और संस्कृति | 221.01 | 272.12 | 221.98 | 26.36 | 371.35 | 69.68 |
| 5 | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 83.02 | 8.99 | 263.64 | 10.18 | 559.18 | 21.19 |
| 6 | शिक्षा | 6016.71 | 676.54 | 5747.60 | 822.23 | 9420.34 | 665.44 |
| 7 | पर्यावरणीय स्थिरता | 927.82 | 102.33 | 2159.15 | 274.09 | 1696.20 | 263.93 |
| 8 | लैंगिक समानता | 43.58 | 0.25 | 103.40 | 1.28 | 116.93 | 2.89 |
| 9 | स्वास्थ्य देखभाल | 6379.06 | 946.77 | 6436.96 | 1379.32 | 5306.50 | 1524.10 |
| 10 | आजीविका संवर्धन परियोजनाएं | 896.10 | 42.81 | 826.39 | 28.38 | 1499.59 | 154.79 |
| 11 | गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण | 1018.13 | 389.46 | 1777.63 | 119.32 | 1209.36 | 23.26 |
| 12 | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | 1386.45 | 464.25 | 1454.71 | 379.05 | 1633.64 | 371.73 |
| 13 | सुरक्षित पेयजल | 173.22 | 29.91 | 151.22 | 31.46 | 206.70 | 39.66 |
| 14 | स्वच्छता | 189.69 | 149.28 | 170.62 | 142.64 | 204.13 | 225.78 |
| 15 | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | 54.88 | 1.59 | 72.26 | 7.32 | 128.13 | 4.74 |
| 16 | महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना | 36.64 | 7.88 | 99.25 | 1.67 | 42.43 | 6.10 |
| 17 | अनाथालय की स्थापना | 20.48 | 1.40 | 26.15 | 1.37 | 39.25 | 1.99 |
| 18 | स्लम क्षेत्र विकास | 22.01 | 66.94 | 22.15 | 36.23 | 91.63 | 2.21 |
| 19 | सामाजिक-आर्थिक असमानताएं | 145.03 | 4.78 | 150.58 | 14.32 | 133.51 | 20.50 |
| 20 | विशेष शिक्षा | 201.60 | 7.65 | 186.58 | 3.94 | 294.20 | 11.48 |
| 21 | प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर | 54.66 | 7.96 | 7.97 | 0.61 | 1.38 | -- |
| 22 | खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | 216.91 | 26.48 | 235.25 | 56.61 | 423.99 | 102.15 |
| 23 | व्यावसायिक कौशल | 601.99 | 115.66 | 899.90 | 134.28 | 1021.22 | 142.97 |
| 24 | महिला सशक्तिकरण | 194.44 | 11.56 | 242.33 | 19.01 | 367.50 | 29.49 |
| 25 | केंद्रीय सरकार की अन्य निधियां | 2525.09 | 966.21 | 754.63 | 865.46 | 688.29 | 403.56 |
| 26 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 34.86 | 168.28 | 0.59 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| | कुल | 21724.68 | 4486.27 | 22246.10 | 4370.20 | 25892.14 | 4095.78 |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)**

*** कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**